न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 09/2015

RCMS No. 2015/00450

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 रामलाल पुत्र छोगाराम		1. सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर
2 मंगलाराम पुत्र छोगाराम		2. डुंगाराम पुत्र देवाराम जाति जटिया
जातिगण जटिया निवासीगण		3. पीथाराम पुत्र देवाराम जाति जटिया
जोजावर		निवासी जोजावर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री देवेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31/1/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 7/1984–1985 में पारित आज्ञा संख्या 5 (6) दिनांक 28.03.1985 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया है। जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर पूर्व में मिसल संख्या 93/1979 में दिनांक 25.10.1981 पट्टा संख्या 77 जारी किया गया हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा विक्रेता नाथुलाल से क्रय किया गया हैं। उक्त भूमि पर निर्मित मकान में प्रार्थीगण निवास कर रहे हैं। दिनांक 10.12.2014 को अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया, मौका कमिश्नर रिपोर्ट में जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के मकान होने की पुष्टि हुई हैं। उक्त वाद में जैर निगरानी पट्टे को मुख्य आधार बनाया गया हैं। इस पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया, उससे सम्बन्धित रेकर्ड की प्रतियां चाही, तो ग्राम पंचायत ने उक्त रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में पंचायत नियमों की कोई पालना नहीं की गई हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा एवं रहवास हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में स्थाई व्यादेश के जरिये प्रार्थीगण को पाबन्द कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा एवं रहवास होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने को यह नहीं माना जा सकता कि प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई हो। इसके अतिरिक्त रेकर्ड के अभाव में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे का विधिक परीक्षण भी नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इस समबन्ध में प्रार्थी द्वारा निगरानी का जो आधार लिया गया है, उसके अनुसार जैर निगरानी विवादित आराजी पर मिसल संख्या 93/25.09.1979 की पालना में नाथुलाल पुत्र छोगाजी के नाम पट्टा संख्या 77 दिनांक 25.10.1981 को जारी किया जाना बताया है तथा इसी भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया जाना जाहिर किया। रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 7/1984–1985 में पारित आज्ञा संख्या 5 (6) दिनांक 28.03.1985 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत जोजावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी पट्टे के परीप्रेक्ष्य में जांच करें तथा यदि पूर्व में जारी पट्टा जैर निगरानी विवादित आराजी से पृथक आराजी पर बना हो, तो पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए

अति० जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत जोजावर को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/1/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली